न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), प्रयागराज।
<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–937/2026</u>
UPAD010026132026

महाजन गुप्ता उर्फ शिवम गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता निवासी 21 गल्ला बाजार, थाना कर्नलगंज, जिला प्रयागराज।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

..... अभियोगी

मु0अ0सं0–151/2024
अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 354 भा.दं.सं. एवं
धारा–3(1)द, ध, एस.सी./एस.टी. एक्ट
(सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–308/2024)
<u>थाना–कर्नलगंज, जनपद प्रयागराज।</u>

<u>दिनांक–24.03.2026</u>

यह **नियमित जमानत** प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त महाजन गुप्ता उर्फ शिवम गुप्ता की ओर से मु0अ0सं0–151/2024, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 354 भा.दं. सं. एवं एवं धारा–3(1)द,ध, एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–कर्नलगंज, जनपद–प्रयागराज, में प्रस्तुत किया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार श्रीमती सविता गुप्ता द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा इस आशय प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3)दं.प्र.सं. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक–03.02.2023 को अपने घर से बाहर खड़ी थी, समय लगभग रात 07.30 बजे तभी महाजन गुप्ता, आया जो कि शराब पिया हुआ था, मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगा, तभी उसने गाली देने से मना किया तो इतने में उसे जाति सूचक गाली देते हुए बोला कि तुम लोगों को जान से मार दूंगा। तभी उतने में शोर सुनकर उसकी बेटी/पीड़िता आ गयी तो महाजन ने उसकी बेटी को बांहों में भर लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, तभी उसी समय उसका लड़का रिंकू काम करके वापस घर आया तो देखा कि महाजन शराब पीकर हम लोगों के साथ मारपीट कर रहा था। रिंकू को देखकर महाजन अपने घर भाग गया, फिर थोड़ी देर बाद महाजन अपने भाई पप्पी व नन्हें को लेकर आया उसके घर के सामने फायर किया बोला कि किसी से बताना नहीं अगर बतायी तो तुम्हारे व तुम्हारे परिवार वालों को

जान से मरवा दूंगा। प्रार्थिनी उपरोक्त घटना से बहुत सहमी हुयी है। अभियुक्तगण प्रार्थिनी व उसकी लड़की व परिवार को बराबर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं व अपमानित कर रहे हैं।

वादिया मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3)दं. प्र.सं. पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–03.04.2024 के अनुपालन में थाना कर्नलगंज प्रयागराज पर अभियुक्त महाजन गुप्ता उर्फ शिवम गुप्ता एवं अन्य के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–151/2024, धारा–354, 323, 504, 506, भा.दं.सं. धारा–3(1)द, ध, एस.सी./एस.टी. एक्ट, में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से संक्षेप में यह तर्क दिया गया कि आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इस जमानत प्रार्थनापत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है, न खारिज हुआ है। आवेदक के उपर दबाव बनाने व पुरानी रंजिश के कारण उपरोक्त अपराध में झूॅठा फंसाया गया है, जबकि बिलकुल निर्दोष है। प्रार्थी का किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाय।

वादिया मुकदमा ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए आपत्ति प्रस्तुत की गयी है तथा कथन किया गया है कि महाजन गुप्ताको न्यायालय द्वारा जमानत दी जाती है तब प्रार्थिनी व उसके परिवार को जान से मारने का खतरा व जाति सूचक गालियों का अपमान सहना पड़ेगा। अभियुक्त की जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का एवं अजमानतीय है। उनका जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादिया मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित अन्य समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिया मुकदमा की पुत्री का लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया गया एवं वादिनी एवं उसकी पुत्री को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करके, गंदी गंदी जाति सूचक गालियां दिये जाने तथा जानमाल की धमकी दिये जाने का आक्षेप लगाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त महाजन गुप्ता उर्फ शिवम गुप्ता एवं अन्य के विरूद्ध बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक–27.02.2026 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंतरिम

जमानत का दुरूप्रयोग नहीं किया गया है। सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त का उक्त मामले के अतिरिक्त दो अन्य आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **एहतेशाम अहमद जैदी बनाम उ.प्र. राज्य 2020(1) JIC 542 (All)** तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **प्रभाकर तिवारी बनाम उ.प्र. राज्य बनाम अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648** में अभिधारित किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्व अन्य दाण्डिक वाद लंबित होने का तथ्य उसकी जमानत निरस्त किये जाने का आधार नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी.बी.आई.एवं अन्य,** 2022 SC Online 577 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आरोपित अपराध हेतु अनुकल्पित दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना, अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का उचित आधार प्रतीत होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **महाजन गुप्ता उर्फ शिवम गुप्ता** का जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में स्वीकार किया जाता है। **अभियुक्त द्वारा मु0–30000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक संतोषप्रद प्रतिभू** दाखिल करने पर, उन्हें जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाए।

1. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में विचारण में विलम्ब करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त बिना किसी स्थगन के विचारण में सहयोग करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी अवैधानिक क्रिया कलाप को कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

इस आदेश में अधिरोपित किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में अभियोजन, अभियुक्त को प्रदत्त जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकेगे।

दिनांक–24.03.2026

(परवेज अख्तर)
जे.ओ. कोड UP-6310
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
प्रयागराज।